

प्रेषक,

विनीता सिंह

ID No-1985

Case ID: 6137

सिविल जज सी०डि०(त्वरित न्यायालय )

फर्रुखाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद, उ०प्र०।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद फर्रुखाबाद।

विषय:-वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-2021के संबंध में  
प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 जो कि मुझे दिनांक 19.07.2021को प्रदान की गयी है,के Over all assessment में मेरे द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्यों को दृष्टिगत ना रखते हुये Good की प्रविष्टि दी गयी है। जिसके संबंध में सविनय प्रत्यावेदन यह है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मेरे द्वारा किये गये कार्यों में से केवल अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में किये गये कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये Over all assessment किया गया है। जबकि मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में भी प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी व किशोर न्याय बोर्ड में किये गये कार्यों को मिलाकर मेरे द्वारा 9 मामले गुण-दोष के आधार पर ,63 पुराने मामले (जिसमें से 22 मामले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 5 प्राचीनतम वादो की सूची में से है ) एवं कुल 1795 मामले निस्तारण किये गये जिसमें से 281 मामले अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० के,40 अन्तिम आख्या के मामले,114 मामले अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० के ,30 मामले कमिट कर सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये गये तथा 307 जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि का निस्तारण मेरिट पर किया गया। (समर्थन में संलग्नक संख्या-1,2 व 3)

मूल्यांकन वर्ष 2020-2021में कोविड-19 के कारण लगभग पूरे वर्ष न्यायालय का कार्य सामान्य रूप से संचालित नहीं हो सका तथा पक्षकार न्यायालय उपस्थित नहीं आये। दिनांक 05-01-2021के उपरान्त

न्यायालय का कार्य सामान्य तौर पर शुरू हो गया परन्तु पक्षकारों की उपस्थिति बहुत कम रही । इसके उपरान्त भी मेरे द्वारा पूरी लगन व मेहनत के साथ दोनों न्यायालयों का कार्य करते हुये मामलों का निस्तारण किया गया।

इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2020-2021में अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभारी अधिकारी पुलिस प्रतिलिपि विभाग का कार्य भी किया गया है। जिसका उल्लेख श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया है। (समर्थन में संलग्नक संख्या-4)

इस प्रकार मेरे द्वारा पूरी ईमानदारी व मेहनत से कार्य किया गया इसका सम्पूर्ण मूल्यांकन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया है । श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा समस्त तथ्यों व मेरे द्वारा किये गये कार्यों को दृष्टिगत ना रखते हुये केवल अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में किये गये कार्य को दृष्टिगत रखते हुये Over all assessment में good की प्रविष्टि दी गयी है जो कि उचित नहीं है ।

उक्त प्रत्यावेदन के आधार पर माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय व किशोर न्याय बोर्ड में किये गये समस्त कार्यों को ध्यान में रखते हुये Over all assessment की प्रविष्टि उन्नयन (Upgrade)करने की कृपा करें । मैं माननीय न्यायालय की आजीवन आभारी रहूँगी ।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि मेरा प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

सादर।

दिनांक 03.08.2021

भवदीया

(विनीता सिंह)

ID No-1985

सिविल जज सी०डि०(त्वरित न्यायालय )

फर्रुखाबाद।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार